

एक समयानुकूल सलाह

विषय: वृद्धों एवं संबंधजनों को कानूनी सलाह-समय पर वसीयतनामा (Will) तैयार करवाना।

मान्यवर,

सदियों पूर्व यक्ष ने युधिष्ठिर से एक प्रश्न किया था कि इस जगत का सबसे बड़ा रहस्य क्या है तो युधिष्ठिर ने गंभीर चिंतन के पश्चात् उत्तर दिया था 'मृत्यु'। मनुष्य हर दिन अपनों को मरते देखता है लेकिन इस सत्य को बोधगम्य ही नहीं करता कि मृत्यु एक सनातन सत्य है, जैसे हमारे पुरखे नहीं रहे, हम भी नहीं रहेंगे।

मृत्यु पूर्व मृत्यु की तैयारी भी आवश्यक है-चिंतन, सामाजिक एवं कानूनी तीनों स्तर पर। लिखित वसीयतनामा के अभाव में व्यक्ति के उत्तराधिकारियों को 'उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में न सिर्फ वर्षों लग जाते हैं, वसीयतनामा के अभाव में परिवारजनों में भी अकारण विवाद तूल पकड़ लेता है। परिवार परिवेदना के ऐसे कई प्रकरण दृष्टिगत हुए हैं।

अंग्रेजी में एक कहावत है- A Stich in Time Saves Nine अर्थात् समय पर लगाया गया एक टांका नौ टांकों को बचाता है। विल का बनाना अत्यन्त सरल है एवं कोई भी व्यक्ति सादे कागज पर दो लोगों की गवाही में इसे लिख सकता है। यह जरूरी नहीं है कि वसीयतनामा स्टाम्प पेपर पर हो अथवा टाईप किया हुआ हो। वसीयतनामा को नोटेराईज अथवा इसकी रजिस्ट्री भी करवाई जा सकती है तथापि ऐसा ना करने पर भी वसीयतनामा विधिवत् प्रभावी है। महज एक सादे पेपर पर दो गवाहों की उपस्थिति में लिखा वसीयतनामा भी विधिसम्मत है। पुराने विल को समय-समय पर बदला भी जा सकता है, अन्तिम वसीयतनामा प्रभावी रहता है। पति व पत्नी दोनों अलग-अलग वसीयतनामा लिखकर पत्नी अथवा पति अथवा किसी अन्य जिम्मेदार व्यक्ति के पास इसे गोपनीय एवं सुरक्षित भी रखवा सकते हैं।

इस मुद्दे पर सभी में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से वसीयतनामा का प्रारूप संलग्न है। आप उचित समझें तो आप इस मुद्दे पर किसी वकील की भी राय ले सकते हैं।

कृपया आप समाज में इस पत्र एवं वसीयतनामा के प्रारूप की प्रतियां भिजवाएं ताकि इसका समयानुकूल निष्पादन होकर अनेक पारिवारिक परिवेदनाओं से बचा जा सके।

सादर।

हरिप्रकाश राठी

0291-2750319, मो0 94141-32483

नोट: वसीयतनामा का प्रफोर्मा हेतु कृपया पृष्ठ उलटिये

वसीयतनामा

मैंपुत्र/पत्नी..... उम्र करीब
..... वर्ष, निवासी का/की रहने वाला/वाली
हूँ। आज दिनांक को यह वसीयत लिख रहा/रही हूँ।

मेरी उम्र वर्ष की हो गई है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है अतः मैं आवश्यक एवं उचित समझकर यह वसीयतनामा कर रहा/रही हूँ ताकि मेरी चल व अचल सम्पत्ति जिनको मैं चाहूँ उन्हें मिल सके व उसमें कोई विवाद न होने पाये।

मेरे परिवार में मेरी पत्नी/मेरे पतिएवं पुत्र श्री
..... तथा पुत्री/पुत्रियाँ..... हैं। सभी परिवार वाले मेरे से बहुत स्नेह रखते हैं। वर्तमान में मेरी चल व अचल सम्पत्तियाँ निम्न है :-

(अ) अचल सम्पत्ति :- मकान, दुकान, प्लॉट, भूमि, जो कि पर स्थित है।

(ब) चल सम्पत्ति :- पूंजी, विनियोग, लेनदारी आदि।

1. बैंक एफ.डी.आर

2. पोस्ट ऑफिस जमाएँ

3. शेयर्स, म्यूचुल फण्ड्स, बैंक बचत खाते आदि

4. जीवन बीमा, पी.पी.एफ., बाण्ड्स, एम.आई.एस. आदि

5. विभिन्न व्यवसायिक संस्थानों में जमा राशि।

6. मेरे पास मेरेतोला /ग्राम सोने के जेवरात एवंकिलो चांदी के बर्तन व जेवरात।

7. अन्य कोई भी चल-अचल सम्पत्ति अथवा अन्य किसी प्रकार की सम्पत्ति जिसका उल्लेख ऊपर नहीं हुआ हो। अब मैं उपरोक्त सम्पत्ति की वसीयत इस प्रकार करता/करती हूँ।

1. सर्वप्रथम मेरे न रहने पर रु. का फण्ड चेरीटेबल (परमार्थ) हेतु रहेगा। जिसका उपयोगसार्वजनिक परमार्थ कार्य हेतु रहेगा।

2. मेरे न रहने पर मेरी तमाम चल-अचल अथवा अन्य किसी प्रकार की संपत्ति की वारिस मेरी/मेरे पत्नी/पतिउम्र वर्ष होंगी/होंगे अर्थात् मेरी समस्त चल-अचल सम्पत्ति की हकदार वही होंगे एवं यह उसे ही दी जाये।

3. यदि भगवान की इच्छा से मेरी पत्नी/मेरे पति मेरी मृत्यु के समय नहीं हों तो तमाम सम्पत्तियाँ जो मेरी पत्नी/मेरे पति..... को मिलनी थी, मेरे पुत्र/पुत्री/पुत्रवधू या वारिस वर्तमान में उम्र वर्ष को मिलेगी।

4. मेरी उपरोक्त सम्पत्ति में से अपनेपुत्रों को पृथक-पृथक उनके संयुक्त हिन्दु परिवार के लिए रुपये..... (प्रत्येक को) देता हूँ। अर्थात् इस राशि को श्रीएवं श्रीअपने संयुक्त परिवार के कर्ता के रूप में पायेंगे एवं इस राशि पर उनका व्यक्तिगत अधिकार नहीं होगा।

5. मेरी मृत्यु के समय अगर कोई ऋण मेरे ऊपर बकाया हो तो ऐसे ऋणों की अदायगी मेरी सम्पत्ति से की जाये।

6. उपरोक्त पैरा 2, 3 व 4 में अगर कोई भी संभव न हो तो समस्त चल-अचल सम्पत्ति की हकदार मेरी पुत्रीअथवा उसके उत्तराधिकारी होंगे।

7. यह वसीयतनामा मैं बिना नशे पते, होश हवास में, स्वस्थ शरीर व स्वस्थ मन से बिना किसी के किसी प्रकार के दबाव में आज दिनांकको पढ़कर एवं सुन व समझकर अपने हस्ताक्षरों से निष्पादित कर गवाहों से अभिप्रमाणित करा दी कि प्रमाण रहे व आवश्यकतानुसार काम आवे। यदि पूर्व में कोई भी वसीयत लिखी हो तो इस वसीयतनामे के पश्चात् उसे निरस्त समझी जाये।

8. उपरोक्त वसीयतनामे में क्रियान्वयन एवं निष्पादन हेतु मैं श्री पुत्रको एक्जेक्यूटर नियुक्त करता/करती हूँ।

हस्ताक्षर

दिनांक :

वसीयतनामाकर्ता

हस्ताक्षर गवाह :

1.

2.

.....

.....

.....

.....